



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 1979

आश्विन 5, 1901 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2554/सत्रह-वि 0-1--45-79

लखनऊ, 27 सितम्बर, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 24 सितम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश बिक्री-
कर ऐक्ट संख्या 15
सन् 1948 की
धारा 13-क का
संशोधन।

धारा 15-क का
संशोधन

धारा 28-क का
प्रतिस्थापन

घोषणा करके
माल का राज्य में
आयात

2--उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13-क में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री-कर कमिश्नर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उन पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्देश दे सकता है कि माल को कोई धनराशि जमा कराये बिना छोड़ दिया जाय।”

3—मूल अधिनियम की धारा 15-क में; उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (ण) और (ण-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(ण) धारा 28-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है;”

(ख) खण्ड (7) में, शब्द “अथवा खण्ड (थ)” निकाल दिये जायेंगे;”

(ग) खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्

“(9) खण्ड (ण) या खण्ड (थ) में अभिदिष्ट दशा में, अन्तर्ग्रस्त माल के मुख्य के चालीस प्रतिशत से अधिक धनराशि,”।

4—मूल अधिनियम की धारा 28-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्

28-क—(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण, माप या मूल्य से अधिक परिमाण, माप या मूल्य का, इस अधिनियम के अधीन कर देय माल, राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर, व्यापार के सम्बन्ध में, लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है) उस कर निर्धारक अधिकारी से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके घोषणा का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर हो जहाँ उस व्यक्ति के व्यापार का मुख्य स्थान या यदि वह कोई व्यापार न करता हो तो उसके साधारणतया निवास का स्थान, स्थित है।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जायगी कि माल को राज्य में व्यापार के सम्बन्ध में लाना, आयात करना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना आशयित था जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

(2) यदि ऐसा माल सड़क द्वारा पारेषित किया जाना हो तो—

(क) आयातकर्ता पारेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में, देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा-पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य लेख-पत्र जो निर्धारित किये जायें, ले जायगा, और धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी या नाके को पार करने के पहले ऐसे घोषणा-पत्र की एक प्रति ऐसी जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को देगा और माल सहित घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख-पत्र आयातकर्ता या उसके अधिकृतों को देगा;

(ख) जांच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी उसे दिये गये घोषणा-पत्र की प्रति के लिये एक रसीद देगा और गाड़ी के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की कोई प्रति देना आवश्यक न होगा, यदि वह ऐसी अन्य जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे;

(ग) यदि ऐसा माल राज्य में बाहर से ऐसी सड़क से लाया जाय जिस पर कोई जांच चौकी या नाका स्थापित न हो, या, यदि किसी अन्य कारण से घोषणा-पत्र की एक प्रति यथा-उपरोक्त जांच चौकी या नाके पर न दी जा सके तो पारेषित ऐसी माल को छुड़ाने के पश्चात् कर निर्धारक अधिकारी को अगले कार्य दिवस तक घोषणा-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा;

(घ) आयातकर्ता खण्ड (क) के अधीन उसे या उसके अधिकृतों को दिये गये घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और अन्य लेख-पत्रों को ऐसी अवधि तक रखे रहेगा जैसी निर्धारित की जाय और जब कभी ऐसी अवधि के भीतर कर निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि ऐसा माल रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्ता—

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिए, प्रस्तुत न कर दे या करवा न दे; और

(ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तब तक न ले जायगा और न ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा-पत्र की एक प्रति न हो।

(4) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत असबाब के रूप में लाया जाय तो उन्हें लाने वाला व्यक्ति अपने साथ निर्धारित प्रपत्र में, सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र रखेगा, और आयातकर्ता उसे अगले कार्य-दिवस तक उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को, प्रत्येक ऐसी जांच चौकी या नाके पर, या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी भी अन्य स्थान पर, रोकेंगा, और उसे तब तक रोकें रखेगा जब तक कि, यथा-स्थिति, उस जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा और, यदि अपेक्षित हो, उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा।

(6) यदि इस धारा के अधीन तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल का परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है, किन्तु उसे पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट उचित और वास्तविक लेख-पत्रों में दिखाया नहीं गया है और यदि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसे माल का इस अधिनियम के अधीन कारनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य देय कर के भुगतान, का अपवंचन करने के प्रयास में परिवहन किया जा रहा था तो वह ऐसे माल को रोकने का आदेश दे सकता है।

(7) माल को इस प्रकार रोकने के सम्बन्ध में धारा 13-क की उपधारा (2), (6) और (8), के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा के अधीन अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे किसी रेल प्रशासन या रेलवे के सेवक या डाकघर या डाकघर के किसी पदाधिकारी पर कोई आभार आरोपित होता है, या यह किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में तलाशी लेने, रोकने या अभिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है जो, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में यथा परिभाषित रेल में, या भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में यथा परिभाषित किसी डाकघर में हो।

5—मूल अधिनियम की धारा 28-ग और 28-घ निकाल दी जायगी।

धारा 28-ग
और 28-घ का
निकाला जाना

6—(1) किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्ली या आदेश के होते हुए भी,—

संक्रमणकालीन
उपबन्ध

(क) किसी माल को जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा बढ़ायी गई, मूल अधिनियम की धारा 28-क या धारा 28-ग, के अधीन रोका या अभिगृहीत किया गया हो या जिसका रोका या अभिगृहीत किया जाना उपर्युक्त धाराओं के अधीन तात्पर्यित हो;

(ख) किसी प्रतिभूति की धनराशि को जो इस प्रकार रोके गये या अभिगृहीत माल को छुड़ाने के लिए जमा की गयी हो;

(ग) किसी अर्थ-दण्ड की धनराशि को जो उपर्युक्त धाराओं के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए आरोपित; और समायोजन द्वारा या अन्यथा वसूल की गयी हो;

उपर्युक्त धाराओं की अविधिमान्यता के आधार पर वापस करने या लौटाने के लिए; कोई प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति तक नहीं की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विचाराधीन हो, तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त न हो जाय।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में, उतना समय, जितने के लिए ऐसे प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही को उपधारा (1) के अधीन वर्जित किया गया हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अपविजित कर दिया जायगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धनराशि या माल को वापस पाने या लौटाये जाने के लिए अन्ततः हकदार पाया जाय तो वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के लिए, यथास्थिति, वापस करने योग्य धनराशि पर या वापस करने योग्य माल के मूल्य पर मूल अधिनियम की धारा 29 में निर्दिष्ट दर पर ब्याज का भी हकदार होगा।

(5) इस धारा में दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि लौटाये जाने या वापस पाने के लिए ऐसा प्रार्थना-पत्र देने, वाद लाने या विधिक कार्यवाही करने के लिए, जहाँ यह अन्य प्रकार से न की जा सके, कोई अधिकार सृजित करती है।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2554/XVII-V-1—45-79

Dated Lucknow, September 27, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri-Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 33 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 24, 1979:

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. Act No. 33 of 1979]

[(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979. Short title.

2. In section 13-A of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), the following proviso shall be inserted in the end, namely :—

“Provided that the Commissioner of Sales Tax or any officer authorised by him in this behalf may, for sufficient reasons to be recorded, direct that the goods be released without any deposit.”

Amendment of
section 13-A of
U. P. Act no. 15
of 1948.

3. In section 15-A of the principal Act, in sub-section (1),—

Amendment of section 15-A.

(a) for clauses (o) and (o-1) the following clause shall be substituted, namely :—

“(o) imports or transports, or attempts to import or transport or abets the import or transport of any goods in contravention of the provisions of section 28-A;”

(b) in clause (vii), the words “or clause (q)” shall be omitted;

(c) for clause (ix), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ix) in a case referred to in clause (o) or clause (q) a sum not exceeding forty per cent of the value of the goods involved.”

4. For section 28-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 28-A.

Import of goods into the State against declaration.

“28-A. (1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place without the State, any goods liable to tax under this Act in such quantity or measure or of such value as exceeds the quantity, measure or value notified by the State Government in that behalf, in connection with business shall obtain the prescribed form of declaration on payment of the prescribed fee from the assessing authority having jurisdiction over the area where his principal place of business is situated or in case there is no such place where he ordinarily resides.

Explanation—For the purposes of this sub-section it shall be presumed that the goods were intended to be brought, imported or otherwise received into the State in connection with business unless the contrary is proved.

(2) Where such goods are to be consigned by road,—

(a) the importer shall furnish to the consignor the declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him and the driver or any other person in charge of any vehicle carrying any such goods shall carry with him the copies of such declaration duly verified by the consignor in the prescribed manner together with such other documents as may be prescribed, and shall before crossing any check post or barrier established under section 28, deliver one copy of such declaration to the officer in charge of such check post or barrier and the other copy of the declaration and the remaining documents along with the goods to the importer or his agent;

(b) the officer in charge of the check post or barrier shall grant a receipt for the copy of declaration delivered to him and it shall not be necessary for the driver or the person in charge of the vehicle to deliver any copy of the declaration at any other check post or barrier that he may cross, if he shows such receipt to the officer in charge of such other check post or barrier;

(c) where such goods are brought into the State from without by a road on which no check post or barrier is established or, where for any other reason a copy of the declaration could not be delivered at a check post or barrier as aforesaid, the consignee shall after obtaining delivery of such goods, submit to the assessing authority one copy of the declaration by the next working day;

(d) the importer shall preserve the other copy of the declaration and other documents delivered to him or to his agent under clause (a) for such period as may be prescribed and produce them before the assessing authority whenever demanded by it within such period.

(3) Where such goods are consigned by rail, river, air or post the importer shall not—

(a) obtain or cause to be obtained delivery thereof unless he furnishes or causes to be furnished to such officer as may be authorised in this behalf by the State Government, a declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer ; or

(b) after taking delivery, carry the goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, steamer or boat station, airport or post office, as the case may be, unless a copy of the declaration duly endorsed by such officer is carried with the goods.

(4) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in the prescribed form duly filled in and signed by the importer, and the importer shall submit the same for endorsement by the officer referred to in sub-section (3) by the next working day.

(5) The driver or other person in charge of any vehicle carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle at every such check post or barrier or, when so required by an officer authorised under sub-section (2) of section 13, at any other place, and keep it stationary for so long as may be considered necessary by the officer in charge of the check post or barrier or the officer authorised under sub-section (2) of section 13, as the case may be, and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods.

(6) Where the officer making the search or inspection under this section finds any person transporting or attempting or abetting to transport any goods to which this section applies without being covered by proper and genuine documents referred to in the preceding sub-sections and if for reasons to be recorded he is satisfied after giving such person an opportunity of being heard that such goods were being so transported in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order detention of such goods.

(7) The provisions of sub-sections (2), (6) and (8) of section 13-A shall *mutatis mutandis* apply to such detention as they apply to seizure under that section.

(8) Nothing contained in this section shall be construed to impose any obligation on any railway administration or railway servant or the post office or any officer of the post office, or to empower any search, detention or seizure of any goods while on a railway as defined in the Indian Railways Act, 1890 or in a post office as defined in the Indian Post Office Act, 1898.

Omission of sections 28-C and 28-D.

Transitory provision.

5. Sections 28-C and 28-D of the principal Act shall be *omitted*.

6. (1) No application suit or other proceeding for return or refund of—

(a) any goods detained or seized under, or purportedly under, section 28-A or section 28-C of the principal Act as inserted by the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1973.

(b) any amount of security deposited for release of the goods so detained or seized,

(c) any amount of penalty imposed and realised whether by adjustment or otherwise, for contravention of the provisions of the aforesaid sections,

on the ground of invalidity of the aforesaid sections, shall lie until the expiration of one year from the commencement of this Act, any judgment, decree or order to the contrary notwithstanding.

(2) Any application, suit or other proceeding referred to in sub-section (1), pending immediately before such commencement shall remain stayed till the expiration of the period referred to in sub-section (1).

(3) In computing the period of limitation for any application, suit or other proceeding referred to in sub-section (1), the period for which such application, suit or other proceeding was barred under sub-section (1), shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, be excluded.

(4) Where, any person is ultimately found entitled to refund or return of any amount or goods referred to in sub-section (1), he shall also be entitled to interest at the rate specified in section 29 of the principal Act, on the amount refundable or, as the case may be, on the value of goods returnable, for the period referred to in that sub-section.

(5) Nothing contained in the section shall be construed as creating a right to such application, suit or other proceeding for return or refund where it does not otherwise lie.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.